- एटीएम और मर्चेंट आउटलेट से कैशलेस निकासी के लिए YONO कैश को बढ़ावा देने के लिए 360-डिग्री मार्केटिंग अभियान की योजना बनाई गई है।
- न्यूमरो योनो के दूसरे संस्करण को अंजाम दिया गया है, जोनल फाइनल्स और फाइनल के साथ 17 शहरों में कॉलेज के छात्रों के लिए एक अंतर महाविद्यालय प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें सभी मंडलों की 3,040 टीमों ने सहभागिता की।

हमारे बैंक ने एक महत्वपूर्ण पहल ग्रीन रिवाड्र्स पॉइंट - YONO और डिजिटल उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए और ग्रीनर पर्यावरण की ओर योगदान प्रदान करने हेतु शुरू की। यह ग्राहक को प्रेरित करने की एक अनूठी दूरगामी पहल है।

होम लोन, पर्सनल लोन, करंट अकाउंट, एनआरआई सर्विसेज और डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए प्रमुख मार्केटिंग अभियानों की योजना बनाई गई है और उन्हें क्रियान्वित किया गया है। विभाग ने फोकस किए गए लक्ष्य के साथ विभिन्न मीडिया वाहनों का उपयोग करके खुदरा ऋण उत्पादों को पसंदीदा बनाने के लिए एक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया है।

स्थिरता के लिए बैंक की प्रतिबद्धता के अनुसरण में, टीम ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान छह शहरों में मैराथन कार्यक्रम आयोजित करके एसबीआई ग्रीन मैराथन संपत्ति निर्माण पर काम किया और वित्त वर्ष 2019-20 में इसे 15 शहरों भुवनेश्वर, त्रिवेंद्रम, भोपाल, जयपुर सहित कोलकाता, लखनऊ, पटना और गुवाहाटी में ले जाया गया।

कोविद 19 के प्रकोप के कारण दुनिया एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है, एम एंड सी पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण और सुविचारित विपणन के माध्यम से ग्राहक जुड़ाव बढ़ाकर संवेदनशील समय से रुबरू होने के लिए तैयार है। एसबीआई डिजिटल उत्पादों और समाधानों को अपनाने और बढ़ावा देने के लिए गतिविधियों को डिजिटल, सोशल मीडिया और टीवी प्लेटफार्मों के माध्यम से जुटाया जा रहा है। एसबीआई के स्वामित्व वाले प्लेटफार्मों - वेबसाइट, ईमेल, सोशल मीडिया, इन-ऐप सूचना, एटीएम और हमारे मंडलों और शाखाओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से ग्राहकों से हर संभव संपर्क स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय मीडिया के माध्यम से आवश्यक जानकारी, घोषणाओं का तत्काल प्रसारण किया जा रहा है।

बैंक का प्रयास संचार के अन्य माध्यमों के साथ-साथ डिजिटल, सोशल मीडिया और एसबीआई के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्म के बढ़ते उपयोग को जारी रखना है। इस प्रकार, विभाग का जोर प्रतिस्पर्धा में आगे रहना और ब्रांड "भारतीय स्टेट बैंक" को एक अधिक जीवंत और प्रतिस्पर्धी ब्रांड के रूप में विकसित करना है।

6. सतर्कता

सतर्कता के तीन आयाम हैं - निवारक, दंडात्मक एवं सहभागिता। इस वर्ष "सत्यनिष्ठा - एक जीवन पद्धति" विषय पर दिनांक 28 अक्तूबर से 2 नवंबर 2019 तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया गया था। सतर्कता जागरूकता सप्ताह में सभी स्टाफ सदस्यों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई गई एवं जनसामान्य को विभिन्न वैकल्पिक माध्यमों, आईवीआर, सोशल मीडिया, वॉकैथॉन, नुक्कड़ नाटक, रेडियो जिंगल्स एवं अन्य विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा इस संबंध में जागरूक किया गया। जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से, देश भर की विभिन्न ग्राम सभाओं में भी सत्यनिष्ठा की शपथ ली गई। हमने कर्मचारियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से केस स्टडी एवं अन्य महत्वपूर्ण दिशानिर्देशों को समाहित करते हुए "सतर्कता बुलेटिन" का प्रकाशन किया। इसके अलावा, इस अवधि के दौरान, अद्यतन सतर्कता मैनुअल 2019 भी लाँच किया गया।

समीक्षाधीन वित्त वर्ष के दौरान, सतर्कता की कार्यप्रणाली को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गएः

1. केंद्रीय सतर्कता आयोग ने बैंकिंग एवं वित्तीय धोखाधड़ी के लिए सलाहकार समिति (एबीबीएफएफ) का गठन किया है। बोर्ड ₹ 50 करोड़ एवं अधिक के सभी बड़े धोखाधड़ी के मामले जिनमें महाप्रबंधक एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारी शामिल होंगे, को जांच एजेंसियों, अर्थात सीबीआई को संस्तुत/प्रेषण करने से पूर्व प्रथम दृष्ट्या जाँच करेगा। इस प्रकार प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच करने से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के निर्णय लेने वाले उच्च अधिकारियों को होने वाली अवांछनीय कठिनाई की आशंका कम होगी।
2. वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 28.12.2019 को आयोजित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की बैठक में अनुशासनात्मक एवं आंतरिक सतर्कता के लंबित मामलों की प्रगति की समीक्षा हेतु अनुशासनात्मक एवं सतर्कता मामले की समीक्षा समिति (डीवीसीआरसी) का गठन किया गया है। प्रबंध निदेशक (रिटेल एवं डिजिटल बैंकिंग) की अध्यक्षता में समिति (डीवीसीआरसी) के 8 स्थायी सदस्य हैं। मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं मुख्य सदाचार अधिकारी को इसकी प्रत्येक बैठक में आमंत्रित किया जाएगा। समिति की बैठक प्रत्येक दो माह पर होगी।
3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 में संशोधन के बाद, अनुशासनात्मक मामलों में कर्मचारी पर कार्रवाई के संदर्भ में सतर्कता पहलू का निर्धारण काफी महत्वपूर्ण है। यद्यपि सीवीसी दिशानिर्देश

"कुंभकार जीवन को देता आकार" विषय पर बैंक की तिमाही हिंदी गृहपत्रिका "प्रयास" के कुंभकार विशेषांक का श्री रजनीश कुमार, अध्यक्ष, स्टेट बैंक समूह तथा प्रबंध निदेशक गण द्वारा विमोचन।

सतर्कता दृष्टिकोण या अन्य प्रकार के निर्धारण हेतु स्पष्ट निदेश प्रदान करते हैं तथापि यह देखा गया है कि कभी-कभी, संबंधित अधिकारियों द्वारा इसे सही तरीके से समझा नहीं जाता है और कर्मचारियों पर सही तरीके से कार्रवाई नहीं की जाती है। इस कारण दिशानिर्देशों और अनुदेशों का सही तरीके से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए इस विषय में और अधिक परिचालनगत स्पष्टता की जरूरत महसूस की गई। सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से सतर्कता दृष्टिकोण के निर्धारण के लिए एक मानक परिचालन कार्यविधि (एसओपी) बनाई गई है।

4. सीवीसी के मौजूदा दिशा-निर्देशों के संदर्भ में, अनुशासनात्मक मामलों की संवीक्षा करने व सतर्कता दृष्टिकोण या अन्य दृष्टिकोण का निर्धारण करने और सीवीओ को पत्राचार द्वारा सूचित करने के लिए आंतरिक सलाहकार समिति (आइएसी) का गठन किया गया है। वर्तमान में, बैंक में एक द्विस्तरीय संरचना है, जैसे एक आईएसी कॉरपोरेट केंद्र में है जो टीईजीएस-VI और ऊपर के सभी अधिकारियों और सीसीजी/सीएजी/आईबीजी/पीएफएसबीयू से संबंधित अनुशासनात्मक मामलों की जाँच करता है और दूसरा आईएसी प्रत्येक मंडल में है, जो अवार्ड स्टाफ और स्केल V तक के अधिकारियों से संबंधित मामलों की जांच करता है। आइएसी देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में आपके बैंक में कार्यरत हैं, अतः कई बार यह देखा गया है कि विभिन्न क्षेत्रों में चूक समान स्तर का होने के बावजूद उनके सतर्कता दृष्टिकोण में अंतर होता है। इसे देखते हुए, आइएसी को कॉरपोरेट केंद्र में केंद्रीकृत किया गया है, ताकि सतर्कता या गैर-सतर्कता के रूप में मामलों के वर्गीकरण में किसी भी प्रकार का पक्षपात न हो सके। एक स्वतंत्र और केंद्रीकृत व्यवस्था उचित निर्णय लेने में सहायक होगी और यह मामलों के समुचित निपटान पर विशेष ध्यान देगी, जिससे अंततः समय-सीमा में सुधार होगा।

5. सतर्कता विभाग ने 214 निवारक सतर्कता कार्यक्रम आयोजित किए हैं और 4005 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है। निवारक उपायों को प्रभावी बनाने के लिए 764 शाखाओं में स्वतः संज्ञान लेकर जांच की गई है।

6. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान, हमने प्रौद्योगिकी आधारित वीसीटीएस (विजिलेंस केस ट्रैकिंग सिस्टम) की शुरूआत की है। वीसीटीएस मामलों को समय पर बंद करने के लिए एमआइएस सृजन करने में सक्षम होगा। यह सतर्कता मामलों के विश्लेषण के लिए और प्रभावी ढंग से प्रकरणों की निगरानी के लिए उनके इतिहास पर भी नज़र रखेगा।

7. वित्त वर्ष 2019-2020 के दौरान, कुल 1993 मामलों (1278 नए मामलों सहित) की जांच की गई थी, जिनमें से 1185 मामले बंद हो चुके हैं।

7. आस्ति एवं देयता प्रबंधन

बैंकों के सतत और गुणात्मक विकास के लिए आस्तियों और देयताओं (एएलएम) का कुशल प्रबंधन महत्वपूर्ण है। एएलएम का उद्देश्य बाजार की गतिशीलता की सक्रिय रूप से समीक्षा करके, तुलन पत्र को मजबूत करना है, जिसमें से निकलने वाले संकेतों पर कब्जा करना और मूल्य सृजन सुनिश्चित करने के लिए विनियामक आवश्यकताओं का आकलन करना है।

उत्तम जोखिम प्रबंधन प्रथाओं के एक हिस्से के रूप में, आपका बैंक 'जमाओं', 'आस्ति एवं देयता प्रबंधन', 'तरलता एवं ब्याज दर जोखिमों पर दबाव जांच', 'आकस्मिकता निधीयन योजना' पर अपनी आंतरिक नीतियों की लगातार समीक्षा कर रहा है और बाजार की स्थितियों में बदलावों को अपना रहा है। बैंक सबसे खराब स्थिति के रूप में सामने आने वाले संभावित जोखिम का ध्यान रखने के लिए 'विपरीत दबाव जांच' करवा रहा है।

तरलता की स्थिति का आकलन करते हुए आस्तियों और देयताओं की गैर-संविदात्मक मदों के उचित उपचार के लिए ग्राहकों के व्यवहार पैटर्न (ग्राहकों के लिए उपलब्ध विकल्प) का आकलन करने के लिए नियमित अंतराल पर अध्ययन किए जाते हैं। तरलता और ब्याज दर संवेदनशीलता बयानों की रिपोर्टिंग के लिए तुलनपत्र इतर प्रदर्शन, संभावित ऋण नुकसान आदि के कारण बहिर्वाह/ अंतर्वाह की सटीक स्थिति सुनिश्चित करने के लिए व्यवहार विश्लेषण भी किया जाता है। आस्तियों और देयताओं की गैर-संविदात्मक मदों से संबंधित प्रचलित धारणाएँ नवीनतम अध्ययनों के परिणामों के आधार पर समय-समय पर अद्यतन की जाती हैं।

उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) और नकदी बहिर्वाह के स्टॉक पर गतिशील बाजार के वातावरण के तहत दैनिक आधार पर प्रभावी रूप से निगरानी रखी जाती है, ताकि बैंक की एएलएम पॉलिसी बेंचमार्क के साथ-साथ विनियामक द्वारा निर्धारित एलसीआर का रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके।

आपके बैंक ने तरलता के मामले में बैंक के दीर्घकालिक लचीलेपन को मापने वाले भारतीय रिज़र्व बैंक के एनएसएफ़आर दिशानिर्देशों को सक्रियता से लागू किया है, जो 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हो रहा है।

श्री हरीश भिमानी, लेखक, प्रस्तोता और फिल्म निर्माता को हिंदी के प्रचार - प्रसार में उनके बहुमूल्य योगदान के लिए बैंक के अध्यक्ष श्री रजनीश कुमार प्रशस्ति पत्र प्रदत्त कर रहे हैं